न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. महेन्द्र माली पुत्र श्री हीरालाल माली, जाति- माली, निवासी- घर नं. 1/375 हाउसिंग बोर्ड, सिरोही, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्मः- अम्बिका रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, नेहरु नगर, एन.एच.14, सिरोही,जिला- सिरोही

2. चमनाराम पुत्र श्री कालुराम, निवासी- 1294 रेबारियों का वास, रामसीन, जिला- जालोर (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्मः- आम्बेश्वर सेल्स एजेन्सी, जेल रोड, सिरोही, जिला- सिरोही

3. Vikash Bhavsar, Asstt. Manager (QA), (खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी)

फर्मः- BanasKantha District Co-operative Milk Producers Union Limited, Banas Dairy, PB No. 20 Palanpur, Dist. Banaskantha- 385001

4- BanasKantha District Co-operative Milk Producers Union Limited, Banas Dairy, PB No-20 Palanpur, Dist. Banaskantha- 385001

प्रकरण संख्याः 32/2021

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 05 अप्रेल, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 10.11.2020 को 4.00 पी.एम. पर फर्म अम्बिका रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, नेहरु नगर, एन.एच.14, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से महेन्द्र माली पुत्र हीरालाल माली, जाति- माली, निवासी- घर नं. 1/375 हाउसिंग बोर्ड, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) की सब्जी, खाना आदि बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सु[illegible] के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं रेस्टोरेन्ट के [illegible] फ्रिज में उपयोग व विक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ पनीर ([illegible]) [illegible] (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ पनीर ([illegible]) [illegible] पाउच (एक किलो[illegible]) [illegible]च

.....[illegible]र

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खरीदा एवं पनीर (अमूल ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 300/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह को चार साफ सूखी एवं खाली शीशीयां दिखाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1270, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा पनीर (अमूल ब्राण्ड) को अच्छी तरह मैश करके चारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा। तत्पश्चात् चारों नमूना शीशीयों में 40-40 बूंदें फार्मेलीन की डाली एवं शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। चारों शीशीयों पर एक-एक लेबल लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1270 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र माली व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 10.11.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र माली से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) का [illegible] S-1270 [illegible] (Substandard) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल काग[illegible] गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के [illegible] किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन [illegible] प्रतिवादीगण के द्वारा अमानक

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये। प्रकरण में नियत दिनांक 08.7.2021 को प्रतिवादी महेन्द्र माली ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हमारी होटल अम्बिका रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस से जिस पनीर (अमूल) का नमूना जांच के लिय लिया था और जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। मैनें पनीर अमूल ब्राण्ड आम्बेश्वर सेल्स एजेन्सी, जेल रोड, सिरोही से बिल सहित खरीदा था। पनीर अमूल का बिल भी मैनें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया था। मैनें पैक अवस्था में ही पनीर अमूल खरीद किया एवं जांच के लिये पैक अवस्था में ही दिया था, इसमें मेरी कोई गलती नही है, इसलिये मुझे इस मुकदमें से मुक्त किया जावे। दिनांक 08.7.2021 के बाद प्रकरण में प्रतिवादी महेन्द्र माली उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के वकील ने भी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 10.3.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या-2 से 4 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस में यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन के पद संख्या 3 से 8 में गलत एवं मिथ्या कथन अंकित किये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी महेन्द्र माली से अमूल ब्राण्ड पनीर को क्रय किया जाना व उसकी कीमत अदा करने का कथन गलत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी महेन्द्र माली के संस्थान पर कोई कार्यवाही निष्पादित नही की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाली कागजों में प्रतिवादी संख्या-1 के हस्ताक्षर करवाकर कार्यालय में बैठकर पूरी कार्यवाही निष्पादित की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पनीर अमूल ब्राण्ड को नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के हस्ताक्षर नही है, बल्कि बतौर गवाह सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर है, इससे कार्यवाही सन्देह पूर्ण प्रतीत होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर अमूल ब्राण्ड के नमूना संख्या एस-1270 की जांच रिपोर्ट की प्रति नही भिजवाई है और न ही प्रतिवादीगण को ऐसी कोई जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हुई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वार यदि जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादीगण को पंजीकृत डाक से भिजवाई होती तो उस पंजीकृत डाक की रसीद प्रस्तुत करते है, लेकिन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ऐसी कोई जांच रिपोर्ट प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:41 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

पंजीकृत डाक से प्रेषित नही की है। जिससे इस प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा 4 का उल्लंघन हुआ है एवं प्रतिवादीगण खाद्य पदार्थ अमूल ब्राण्ड पनीर के नमूने के दूसरे भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहे है। यह कि निर्माता फर्म द्वारा पनीर अमूल ब्राण्ड का निर्माण सम्पूर्ण मानकों के अनुसार ही किया जाता है एवं निर्माता द्वारा अमूल ब्राण्ड पनीर की निर्धारित मानकों के अनुरुप जांच में सही पाया जाने पर ही बेचा जाता है। निर्माता द्वारा अमानक पनीर का निर्माण नही किया गया है एवं न ही पनीर के साथ कोई छेडछाड की गई है। यह कि पनीर अमूल ब्राण्ड खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में स्वास्थ्य के लिये असुरक्षित या हानिकारक होना नही बताया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि दिनांक 10.11.2020 को 4.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म अम्बिका रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, नेहरु नगर, एन.एच.14, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म अम्बिका रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से महेन्द्र माली पुत्र हीरालाल माली, जाति- माली, निवासी- घर नं. 1/375 हाउसिंग बोर्ड, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) की सब्जी, खाना आदि बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म अम्बिका रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र माली को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष रेस्टोरेन्ट के अन्दर डीप फ्रिज में आम जनता के सब्जी व खाना बनाने हेतु उपयोग व बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) के 8 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) का एक किलोग्राम का एक पैक्ड पाउच खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, खाली, सूखे भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि 300/- (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) विक्रेता महेन्द्र माली को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र माली, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबा[illegible]सूखी, खाली शीशीयां दिखाई एवं मौके पर लेबल तैयार कर लेबल[illegible]हित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, [illegible] S-12/70, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का [illegible] प्रत्येक लेबल पर खाद्य

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

कारोबारकर्ता महेन्द्र माली व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर (अमूल ब्राण्ड) को अच्छी तरह मैश करके चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डालकर शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1270 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता महेन्द्र माली, उक्त गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अम्बिका रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, नेहरु नगर, एन एच 14, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता महेन्द्र माली से खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री महेन्द्र, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 10.11.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1270 की [illegible] प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./912/Act/2020/911 दिनांक 18.[illegible]20 [illegible] अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अम्बिका [illegible] नगर, एन एच 14, सिरोही, जिला- सिरोही में [illegible] माली से वास्ते जांच कय किया

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

गया खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) का नमूना S-1270 अमानक (Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2021/53-56 दिनांक 05.1.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी महेन्द्र माली, फर्म अम्बिका रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, सिरोही व बनास डेयरी, पालनपुर को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी महेन्द्र माली की फर्म अम्बिका रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस,, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) को फर्म सारणेश्वर सेल्स एजेन्सी, सिरोही से पैक्ड अवस्था में बिल इनवोईस नम्बर 519 दिनांक 09.11.2020 के द्वारा क्रय किया गया था जो प्रतिवादी चमनाराम की फर्म है तथा प्रतिवादी चमनाराम की फर्म सारणेश्वर सेल्स एजेन्सी, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) को पैक्ड अवस्था में बनासकांठा डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसरस् यूनियन लिमिटेड, बनास डेयरी, पालनपुर, जिला- बनासकांठा से बिल नम्बर 1029208537 दिनांक 07.11.2020 के द्वारा क्रय किया गया था जो खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 के अनुसार निर्माता फर्म BANASKANTHA DISTRICT CO-OPERATIVE PRODUCERS UNION LTD. दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म BANASKANTHA DISTRICT CO-OPERATIVE PRODUCERS UNION LTD., Banas Dairy, PB No.20 Palanpur, Dist. Banaskantha-385001 पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म BANASKANTHA DISTRICT CO-OPERATIVE PRODUCERS UNION LTD. के नॉमिनी Vikas Bhavsar, Asst. Manager (QA) (प्रतिवादी संख्या-3) को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म BANASKANTHA DISTRICT CO-OPERATIVE PRODUCERS UNION LTD. पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से [illegible] अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft [illegible] भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय [illegible] जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:41 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001